JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANAGALAM): (a) to (d) In terms of Section 269(2)/388 of the Companies Act, 1956 Public Limited Companies are empowered to appoint their managerial personnel (viz. Managing Directors, wholetime Directors and Managers) without the approval of the Central Government provided all the conditions specified in Schedule XIII of the Act are satisfied. Where any of the conditions specified in the said Schedule is not satisfied, approval of the Central Government is required to be obtained for such appointments. Clause 1(c) of Part I of Schedule XIII prescribes that the proposed appointee should not have attained the age of seventy years or the age of retirement, if any, specified by the Company, whichever is earlier. The Central Government permits appointment/reappointment of a person who has attained the age of seventy years or the age of retirement prescribed under the regulation of the Company as MD/WTD/Manager on the merits of each case. Data relating to such persons is not maintained by the Government.

Companies in public sector i.e. Government Companies within the meaning of section 617 of the Companies Act are exempted from the purview of the aforesaid regulatory provisions by virtue of a notification issued under Section 620 of the Act. Appointments of Chairman-cum-Managing Directors, Managing Directors or functional directors in Government Companies are made by the concerned Administrative Ministries dealing with Public Sector Undertakings on the recommendation of Public Enterprises Selection Board with the approval of Appointments Committee of the Cabinet.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां

2749. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायिक सेवा के कितने सदस्यों को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया था तथा उनके नाम क्या हैं और उन्हें किस-किस तारीख को नियुक्त किया गया था; और

(ख) उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों/जिला न्यायाधीशों को माननीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के क्या मानदण्ड हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): (क) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, उनमें से प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है:—

क्रम सं॰	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री न्यायमूर्ति	
1.	विजय नारायण महरोत्रा	6.7.90
2.	कृष्ण नारायण	6.7.90
3.	जगदीश कुमार माथुर	6.7.90
4.	कैलाश चन्द्र भार्गव	6.7.90
5.	सूर्य प्रसाद	6.7.90
6.	प्रेम प्रकाश गुप्ता	24.7.90
7.	आर॰के॰ अग्रवाल	1.8.90
8.	के॰एम॰ पाण्डेय (तब से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित)	24.1.91
9.	ए॰वी॰ श्रीवास्तव	27.11.91
10.	के॰एल॰ शर्मा	27.11.91

(ख) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार की जाती है और इस संबंध में अन्य कोई मानदण्ड विहित नहीं किया गया है।